

30-6-14

E-Mail

संख्या-776/9-9-14-110ज/11

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।  
समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।  
निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।  
समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक 30 जून, 2014

विषय- सम्भावित सूखे की स्थिति से उत्पन्न पेयजल समस्या के समाधान के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.14 को सम्पन्न हुई बैठक में सूखा राहत कार्रवाई/क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये:-

- (1) खराब नलकूपों को समय से मरम्मत सुनिश्चित कराना।
- (2) पेयजल के कुओं को आवश्यकतानुसार गहरा कराना।
- (3) दैवी आपदा राहत निधि या अन्य स्रोतों से जो धनराशि पेयजल व्यवस्था हेतु स्वीकृत की गयी है उसकी उपयोगिता जिलाधिकारी के माध्यम से तत्काल सुनिश्चित की जाय।

2. उक्त को ध्यान में रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्भावित सूखे की स्थिति में उत्पन्न पेयजल समस्या के निदान हेतु हैण्ड पम्पों की मरम्मत/नये हैण्ड पम्प की स्थापना तथा पाइप लाईनों से सम्बन्धित कार्यों को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जाय। इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-517/9-7-14-27ज/2004 दिनांक 10.04.14, शासनादेश संख्या-517(2)/9-7-14-27ज/2004 दिनांक 25.04.14 तथा शासनादेश संख्या-854/9-7-14-27ज/2004 टी.सी. दिनांक 06.06.14 में दिये गये निर्देशों के साथ उपर्युक्त उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
30/6/2014  
(श्रीप्रकाश सिंह)  
सचिव।

